इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

सार्वजनिक सूचना

1. वाहन सं0– यू0पी0 70–ए0सी0–6001 (एम्बेसडर कार)माडल वर्ष–2004 आरक्षित मूल्य– रू0 25,000=00
2. वाहन सं0– यू0पी0 70–ए0सी0–2400 (एम्बेसडर कार)माडल वर्ष–2004 आरक्षित मूल्य– रू0 25,000=00
3. वाहन सं0– यू0पी0 70–ए0सी0–9751 (एम्बेसडर कार)माडल वर्ष–2004 आरक्षित मूल्य– रू0 20,000=00
4. वाहन सं0– यू0पी0 70–एक्स0–6001 (एम्बेसडर कार)माडल वर्ष–2002 आरक्षित मूल्य– रू0 20,000=00

एतत्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद की विभागीय वाहनों क्रमशः वाहन सं0–यू0पी0 70–ए0सी0–6001 (एम्बेसडर कार), वाहन सं0–यू0पी0 70–ए0सी0–2400 (एम्बेसडर कार), वाहन सं0–यू0पी0 70–ए0सी0–9751 (एम्बेसडर कार) एवं वाहन सं0– यू0पी0 70–एक्स0–6001 (एम्बेसडर कार) (जो जहाँ है जैसे है कि स्थिति में खड़ी/पड़ी है) की नीलामी दिनांक 18-01-2018 को अपराह्यन 12.30 बजे कार्यालय इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 8वाँ तल स्थित सभागार कक्ष में होगी। बोली बोलने से पूर्व वाहनों हेतु मुबलिग रू0 10,000/= (रू0 दस हजार) धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, को नीलामी की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व अनुरक्षण खण्ड में जमा करना होगा। उच्चतम बोलीदाता को बोली की धनराशि का 50% की धनराशि तुरन्त जमा करना होगा और शेष धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्गत माँग पत्र के अनुसार 15 दिन में जमा करना होगा, अन्यथा कि स्थिति में पूर्व में जमा की गयी धरोहर की धनराशि को विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। प्रत्येक बार बोली बोलने की अन्तर धनराशि रू0 1000/= से कम की नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त बोली स्वीकृति धनराशि पर वर्तमान में लागू सरकारी टैक्स जो भी देय होगा उसे नियमानुसार अलग से उच्चतम् बोलीदाता द्वारा जमा करना होगा। नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण के अनुरक्षण कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है तथा प्राधिकरण के बेवसाइट adaallahabad.in पर देखी जा सकती हैं। किसी भी बोली/नीलामी को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव,

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी हेतु प्रस्तावित शर्तें :–

1. समस्त वाहन जैसी है जहाँ है के अनुसार खुली नीलामी के माध्यम् से उच्च बोलीदाता के पक्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त एवं तद्नुसार प्रश्नगत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करने के उपरान्त निर्गत की जायेगी।
2. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर धनराशि रू0 10,000/– मात्र सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, सफल बोलीदाता की धरोहर धनराशि को समायोजित की जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को नीलामी धनराशि की अवशेष धनराशि स्वीकृत पत्र निर्गत होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
4. किसी भी बोलीदाता की आफर अथवा सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकारी अथवा सफल बोलीदाता यदि वाहन नहीं उठाता है अथवा समय से कार्य पूर्ण नहीं करता है तो धरोहर राशि जब्त करने का अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को निहित होगा।
5. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व चिन्हित स्थानों (इन्दिरा भवन) जहाँ पर वाहन खड़े हैं, अवलोकन करना उचित होगा। नीलामी प्रक्रिया के बाद किसी भी तरह का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
6. वाहन को उठाने, ले जाने अथवा गिनती करने आदि एवं किसी रूप में लेबर आदि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को धनराशि का भुगतान ड्राफ्ट अथवा नकद के माध्यम् से करना होगा। अन्य किसी रूप जैसे चेक अथवा बैंक गारण्टी स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सफल बोली दाता को स्वीकृत नीलामी राशि के अतिरिक्त वर्तमान में लागू सरकारी टैक्स नियमानुसार अलग से देय होगा। प्राधिकरण किसी भी कर की देयता का भुगतान नहीं करेगा।
9. सफल बोलीदाता वाहनों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00बजे तक ही उठा सकेगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी दशा में रात्रि में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
10. सफल बोलीदाता वाहनों को विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में ही उठाया जायेगा।
11. वाहन उठाने का कार्य करने के दौरान लेबर आदि की प्रत्येक प्रकार सुरक्षा का दायित्व सफल बोलीदाता का होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तमव),
वाहन–लिपिक

(एस0डी0गुप्ता),
सहायक अभियन्ता वि0/यां0

(ए0के0सिंह),
अधिशाषी अभियन्ता वि0/यां0